

Schedule XLIII—High Court (M) 36C [Old Cr. Process No. 9.]  
WARRANT IN THE FIRST INSTANCE TO BRING  
UP A WITNESS.

[ Form No. 9 SCHEDULE II ACT 2, 1974. ]

( Section 87 of the Code of Criminal Procedure. )

पचाह को हाजिर करने के लिए पहली भरतबे वारन्ट

[ दफा 87 मजमुअए जबाबिते फोजदारी ]

(१) नाम ब-बहदा  
बहदादारे पुलिस ब-नाम (१)  
या डीगर शखस या  
अस-खास जो वारन्ट  
को जारी करें। चूंकि हजूर में नालिश की गई है के

(२) किया है या साकिन  
करने का उनपर  
शुवहा है। डी जुर्म (२)

(३) जर्म को मुखतसर  
तीर पर लिखें। का किया (३)  
और मालूम होता है के (४)  
नालिश मजकूर की वायत गवाही दे सकेंगे और चूंकि मुझको यह गुमान कर  
(४) नाम व बिशाने को माकूल और काफी बजह है के बेला जवय नालिश मजकूर की शमाअत  
गवाह। बस्त गवाही देने को वह हाजिर नहीं होंगे।

(५) नाम। इसलिये आप को हुक्म होता है के आप (५)  
मजकूर को गिरफ्तार करें और व-तारीख माह  
उसको इस अदालत में वास्ते देने गवाही वाबत जुर्म मजकूर  
के हाजिर करें।

मेरे दस्ताखत और अदालत की मुहर से दिया गया।

आज ता०

माह

सन् १९

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया। ( ए० पी० )